

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

मेवाराम

बनान

सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 49 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
7/21	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी मेवाराम पुत्र हनुमान जाति मेवाराम निवासी करलीबास तहसील राजगढ़ जिला चूरु ने इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 40541 ख0नं0 55, 56 कुल गाड़ी 2.05 ई0 व ख.नं. 59 गाड़ी 1.66 ई0 वाके रोडी केरलीबास तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी केपिठा का गलत नाम रामलाल व हनुमान भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी केपिठा का असल व रिकार्डेड नाम हनुमानाराम दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 40541 ख0नं0 55, 56 कुल गाड़ी 2.05 ई0 व ख.नं. 59 गाड़ी 1.66 ई0 वाके रोडी केरलीबास तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी केपिठा का गलत नाम रामलाल व हनुमान के स्थान पर सही नाम हनुमानाराम शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।</p> <p>मिसल फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

अ
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरु)